

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2278/2012/कोटा.

मैसर्स लीलाराम गोविन्दराम, रामपुरा कोतवाली के पीछे, कोटा. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-प्रथम, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर. ....प्रत्यर्थी.

2. अपील संख्या – 2279/2012/कोटा.

मैसर्स राजेश कुमार एण्ड कं०, रामपुरा कोतवाली के पीछे, कोटा. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत-प्रथम, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, अजमेर. ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम.एल.पाटौदी एवं सुश्री ईशु जैन,

अधिकृत प्रतिनिधिगण

.....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से.


निर्णय दिनांक : 29/09/2015

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 69 व 68/वेट/11-12/कोटा में पारित किये गये पृथक-पृथक आदेश दिनांक 27.9.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं।

2. दोनों अपीलों में विवाद्य बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. अपील संख्या 2278/2012 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-बी, कोटा (जिसे आगे 'सर्वेक्षण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 07.04.2011 को किया जाने पर मौके पर रुपये 3,30,840/- का 5 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल लेखा-पुस्तकों में इंद्राजित माल से अधिक पाया गया।




लगातार.....2

4. इसी प्रकार अपील संख्या 2279/2012 से सम्बन्धित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 07.04.2011 को किया जाने पर मौके पर रुपये 2,66,032/- का 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल तथा रुपये 67,704/- का 40 प्रतिशत की दर से कर योग्य माल लेखा-पुस्तकों में इंद्राजित माल से कम पाया गया।

5. उक्त दोनों प्रकरण करापवंचन से सम्बन्धित होने के कारण आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प.3(ए)(10)/ज्यूरिस/कर/आयुक्त/97/536 दिनांक 07.08.2009 के अनुसरण में निर्णयार्थ वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) को स्थानान्तरित किये गये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त दोनों प्रकरणों में सर्वेक्षण अधिकारी से टिप्पणी चाही गई, किन्तु सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा प्रकरण समयावधि पार होने के कारण, दोनों प्रकरणों में वेट अधिनियम की धारा 25 व 61(1) के तहत पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.10.2011 को पारित करते हुए कर व शास्ति के रूप में क्रमशः रुपये 99,252/- व रुपये 1,92,978/- की मांग कायम की गयी।

6. अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा उक्त आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत किये जाने पर, अपीलीय अधिकारी के पृथक-पृथक पारित अपीलाधीन आदेशों दिनांक 27.09.2012 से अपीलें अस्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा ये द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।


7. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारीगण के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधिगण द्वारा कथन किया गया कि दोनों फर्म सिस्टर कन्सर्न हैं। दोनों का व्यवसाय स्थल एक ही है। सर्वेक्षण एक ही दिनांक को किया गया है। सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा मैसर्स राजेश कुमार एण्ड कम्पनी के स्टॉक को कम बताया गया है, जबकि मैसर्स लीलाराम गोविन्दराम के स्टॉक को अधिक बताया गया है। जबकि मौके पर कोई माल कम/ज्यादा नहीं पाया गया था। मैसर्स राजेश कुमार एण्ड कम्पनी के माल को मैसर्स लीलाराम गोविन्द के स्टॉक में अंकित कर दिये जाने के कारण माल कम/ज्यादा मानते हुए अभियोग दर्ज किये गये हैं। इस बाबत अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को विस्तृत जवाब मय बहियात के प्रस्तुत कर दिये गये थे, जिन्हें अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग सृजित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है।



इसी प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रकरण के तथ्यों का समुचित विश्लेषण किये बिना कर निर्धारण आदेशों की पुष्टि किये जाने में त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधिगण ने अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

8. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेशों एवं कर निर्धारण आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी व्यवहारीगण की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।


9. दोनों प्रकरणों में उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि दोनों फर्म सिस्टर कन्सर्न हैं, दोनों फर्मों का व्यवसाय स्थल भी एक ही है। सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा दोनों फर्मों का सर्वेक्षण दिनांक 07.04.2011 को एक साथ किया गया। ऐसे में इस सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि एक दूसरे का माल फर्द रिपोर्ट में अंकित हो गया हो। अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण से सम्बन्धित विस्तृत जवाब दिनांक 05.08.2011 को प्रस्तुत किया गया है, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विचार किया जाना कर निर्धारण आदेशों से स्पष्ट नहीं होता है। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया है, किन्तु सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों में टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो कि आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक पं.3(ए)(10)/ज्यूरिस/कर/आयुक्त/97/536 दिनांक 07.08.2009 के बिन्दु संख्या 3 की अनुपालना में प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त परिपत्र का बिन्दु संख्या 3 निम्न प्रकार है :-  
 "स्थानान्तरित अभियोग का निष्पादन करने वाला अधिकारी प्रकरण का निष्पादन करने से पूर्व अभियोग बनाने वाले अधिकारी को अपना पक्ष रखने हेतु अनिवार्य रूप से अवसर प्रदान करेंगे एवं अभियोग बनाने वाले सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी/सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी/स्वयं अथवा अधीनस्थ अधिकारी के जरिये अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे।" हस्तगत प्रकरणों में उक्त आदेशों की पालना किया जाना नहीं पाया जाता है। अभियोग बनाने वाले अधिकारी (सर्वेक्षण अधिकारी) द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में विवादित कर निर्धारण आदेशों को विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। साथ ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरणों के समयावधि बाधित होने के कारण आदेश पारित किया जाना अंकित किया गया है, जिसमें भी न्यायिक प्रक्रिया की पालना की सुनिश्चितता नहीं



मानी जा सकती। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब पर समुचित रूप से विचार किये बिना आदेश पारित किये गये हैं, जिसकी अपीलीय अधिकारी द्वारा भी यथावत पुष्टि की गई है। अतः दोनों अवर अधिकारियों के आदेश अपास्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं।

10. उपरोक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने तथा सर्वेक्षण अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त करने के उपरान्त विधिसम्मत आदेश पुनः पारित करेंगे।

11. निर्णय सुनाया गया।

  
29.09.2012

( मनोहर पुरी )  
सदस्य